अनुशासनिक मामलों से संबंधित प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1- अनुशासनिक मामलों में आयोग की क्या भूमिका है ?

उत्तर- संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत विविध प्रकार्य सौंपे गए हैं । इन प्रकार्यों में आयोग द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में सिविल पदों पर सेवारत व्यक्तियों से सम्बद्ध विषयों, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुशासनिक मामले तथा ऐसे मामलों से संबंधित निवेदनपत्र अथवा याचिकाओं पर सरकार(रों)/ मंत्रालयों/ विभागों को परामर्श देना शामिल है ।

प्रश्न-2 किस प्रकार के मामले में आयोग के परामर्श से छूट प्राप्त हैं?

उत्तर- आयोग के परामर्श से छूट प्राप्त मामलों की सूची संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के विनियम 5 के अंतर्गत दी गई है । ये विनियम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

प्रश्न 3- अनुशासनिक मामला आयोग को कैसे भेजें ?

उत्तर- अनुशासनिक मामलों के त्वरित निपटान तथा परिहार्य विलम्ब को कम करने हेतु आयोग में एकल खिड़की (सिंगल विंडो) प्रणाली लागू है । इस प्रणाली के अंतर्गत अनुशासनिक मामले को परामर्श हेतु आयोग को भेजते समय मंत्रालय/ विभाग/ राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह मामले को सं.लो.से.आ. में विनिर्दिष्ट अधिकारी को सौंपने हेतु पहले से मिलने का समय निर्धारित करते हुए ऐसे प्रतिनिधि को प्राधिकृत करें जो अवर सचिव के रैंक से कम न हो । मंत्रालय/ विभाग/ राज्य सरकारों से इस प्रकार प्राप्त मामलों की प्रारम्भिक संवीक्षा करके कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी जांच सूची में मांगी गई अपेक्षित सूचना/ दस्तावेज़ों की उपलब्धता एकल खिड़की पर ही सुनिश्चित कर ली जाती है । आयोग द्वारा केवल वही मामले आगे की जांच तथा परामर्श हेतु स्वीकार किए जाते हैं जो जांच सूची के अनुरूप पूर्ण पाए जाते हैं।

प्रश्न 4- अनुशासनिक मामले के संबंध में एकल खिड़की (सिंगल विंडो) पर मिलने का समय कैसे नियत करें?

उत्तर – एकल खिड़की में अनुशासनिक प्रकरणों की प्राप्ति को और अधिक सुगम बनाने के लिए आयोग ने दिनांक 20.11.2018 से ई-अप्वाइंटमेंट प्रणाली की शुरूआत की है। मंत्रालय/ विभाग/ राज्य सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को

संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट (www.upsc.gov.in) पर सिंगल विंडो/ एकल खिड़की टैब के तहत हाइलाईट किए गए लिंक का उपयोग करते हुए ऑनलाइन पूर्व-अप्वाइंटमेंट प्राप्त करना तथा संघ लोक सेवा आयोग के एनेक्सी भवन में स्थित कमरा नंबर 10-ए में अनुशासनिक मामले को निर्दिष्ट, अवर सचिव (डी. एंड ए. सी.) को सौंपना अपेक्षित है। अभिलेखों की ध्यानपूर्वक संवीक्षा और प्रतीक्षा समय को कम करने को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग के साथ एकल खिड़की के तहत पूर्व अप्वाइंटमेंट तय की जाती है।

**प्रश्न 5-	क्या यह आवश्यक है कि मामले के अभिलेखों की मूल/ अधिप्रमाणित प्रतियां आयोग को भेजी जाएं ?**

उत्तर-	यह अनिवार्य है कि इस प्रकार एकल खिड़की पर प्राप्त मामले के अभिलेख कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 39011/08/2016 स्था०(बी) दिनांक 28.12.2018 द्वारा जारी जांच सूची प्रपत्र के अनुरूप हों तथा पठनीय हों और मूल अथवा विधिवत अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में हों ।

**प्रश्न 6-	यदि मामले के अभिलेख अंग्रेज़ी अथवा हिन्दी से इतर किसी अन्य भाषा में हों तो क्या आयोग इन्हें स्वीकार करेगा ?**

उत्तर-	आयोग अधिप्रमाणित दस्तावेज़ों को हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी भाषा में स्वीकार करता है । ऐसे मामलों में जहां मामले के मूल अभिलेख अंग्रेज़ी अथवा हिन्दी से इतर किसी अन्य भाषा में हो, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग/ राज्य सरकार का दायित्व है कि ऐसे मामलों में, वह उन मूल अभिलेखों का अधिप्रमाणित अनुदित पाठ उपलब्ध कराए ।

**प्रश्न 7-	क्या ऐसे मामलों में आयोग परामर्श देता है जिनमें विश्वसनीय प्रलेख उपलब्ध न हों अथवा अधिप्रमाणित न हों ?**

उत्तर-	आयोग इसे एक दस्तावेज़ीय चूक मानता है तथा ऐसे मामलों की त्रुटि को इंगित करते हुए आयोग की एकल खिड़की से ही लौटा दिया जाता है ।

**प्रश्न 8-	ऐसे मामलों में जहां आरोप-पत्र, जांच अधिकारी की रिपोर्ट आदि में संबंधित विभाग के विभिन्न शब्दों के प्रथमाचार सम्मिलित हों, क्या किया**

जाना चाहिए ?

उत्तर- मामले के अभिलेखों में उल्लिखित सभी शब्दों के प्रथमाचार के पूर्ण रूप मंत्रालयों/ विभागों/ राज्य सरकारों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

प्रश्न 9- क्या आयोग ऐसे मामले में अपना परामर्श प्रदान करेगा जहां सेवानिवृत्त सरकारी सेवक से संबंधित अनुशासनिक मामले में 'पेंशन और उपदान' (ग्राह्य/ अनंतिम/ रोकी गई) की राशि से संबंधित सूचना आयोग को उपलब्ध न कराई गई हो ?

उत्तर- मंत्रालय/ विभाग/ राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि मामले को आयोग के परामर्श के लिए भेजते समय सरकारी सेवक की ग्राह्य और अनंतिम पेंशन से संबंधित सूचना के साथ-साथ ग्राह्य अथवा रोके गए उपदान से संबंधित सूचना भी उपलब्ध करवाई जाए ।

प्रश्न 10- लघु शास्ति वाले अनुशासनिक मामलों में, आरोपित अधिकारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व मामला स्वीकार करने की क्या कोई समय सीमा निर्धारित है?

उत्तर- लघु शास्ति मामलों में आयोग यह अपेक्षा करता है कि ऐसे मामले आरोपित अधिकारी की अधिवर्षिता तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व प्रेषित किए जाएं ।

प्रश्न 11- क्या दीर्घ शास्ति वाले मामलों में आरोपित अधिकारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व मामले को स्वीकार किए जाने की कोई समय-सीमा है ?

उत्तर- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.12.2018 के का.ज्ञा. सं.39011/08/2016-स्था.(ख) में यह प्रावधान है कि आरोपित अधिकारी की सेवानिवृत्ति के कम से कम छः महीने पूर्व आयोग को पूर्ण संदर्भ प्राप्त हो ताकि आयोग समय पर विचार करने और परामर्श देने में सक्षम हो सके जिससे कि आरोपित अधिकारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व समस्त आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी हो।

प्रश्न 12- जिन मामलों में पेंशन में कटौती किया जाना न्यायसंगत हो, ऐसे मामलों को आयोग को प्रेषित करने की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर- के.सि.से.(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 में यथा सीमांकित प्रक्रिया तथा किसी पेंशनभोगी पर लागू अन्य समकक्ष नियमों के अनुसरण में किसी पेंशनभोगी से संबंधित अनुशासनिक कार्यवाही में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को यह अनंतिम निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि पेंशनर के विरूद्ध लगाए गए आरोप "घोर कदाचार/ लापरवाही" के परिचायक हैं जिनमें पेंशन रोक लिए जाने की शास्ति अधिरोपित किया जाना न्यायसंगत होगा ।

प्रश्न 13- जब कोई कमी बताकर एकल खिड़की से मामला वापस कर दिया जाता है तब क्या यह आवश्यक है कि मामले को दोबारा एकल खिड़की के माध्यम से ही भेजा जाए ?

उत्तर- जी हाँ ।

प्रश्न 14- ऐसे अनुशासनिक मामलों में प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग/ राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिएं जहां मामला न्यायाधीन हो तथा उसे नियत समय सीमा के भीतर निपटाए जाने का निदेश हो ?

उत्तर- जिन मामलों में न्यायालय/ के.प्र.अ. से कोई निदेश दिया गया हो, ऐसे मामलों में मंत्रालयों/ विभागों/ राज्य सरकारों द्वारा आयोग को संदर्भ भेजते समय न्यायालय/ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में मामले की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में स्पष्टतः सूचित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामलों को प्राथमिकता प्रदान की जा सके । चूंकि अनुशासनिक कार्यवाही अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है तथा परामर्श देने से पूर्व आयोग को मामले के सभी तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रलेखों पर विस्तारपूर्वक विचार करना होता है, मंत्रालयों/ विभागों/ राज्य सरकारों को संबंधित माननीय न्यायालय/ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण से पर्याप्त समय विस्तार हेतु अनुरोध करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सं.लो.से.आ. को अनुशासनिक मामले पर विचार-विमर्श करके परामर्श देने हेतु न्यूनतम 3-4 माह का समय मिल सके ।

प्रश्न 15- क्या यह आवश्यक है कि आयोग के परामर्श के लिए भेजे गए अनुशासनिक मामले में किसी भी नए घटनाक्रम के विषय में आयोग को सूचित

किया जाए ?

उत्तर- आयोग को भेजे गए अनुशासनिक मामले पर असर डालने वाली प्रत्येक सूचना संगत मूल/ अधिप्रमाणित दस्तावेज़ों और संबंधित मंत्रालय/ विभाग/ राज्य सरकार की उस पर विस्तृत टिप्पणियों सहित आयोग को अविलम्ब भेजी जाए ।

प्रश्न-16 आयोग द्वारा मामले के अभिलेखों की प्रति रखी जाती है या लौटा दी जाती है ?

उत्तर- मंत्रालयों/ विभागों/ राज्य सरकारों से इस प्रकार प्राप्त मामले के अभिलेख आयोग के परामर्श के साथ संबंधित मंत्रालयों/ विभागों/ राज्य सरकारों को लौटा दिए जाते हैं। मामलों के मूल अभिलेख अथवा उनकी प्रतियां आयोग में नहीं रखी जाती हैं ।

प्रश्न-17 क्या कोई अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी अनुशासनिक मामले में मंत्रालय/ राज्य सरकार द्वारा आयोग के परामर्श हेतु आयोग को भेजी गई केस रिकार्ड की प्रतियां प्राप्त करने हेतु निवेदन कर सकता है ?

उत्तर- प्रत्येक अनुशासनिक मामले के केस रिकार्ड, आयोग के परामर्श के साथ ही मंत्रालयों/ विभागों/राज्य सरकारों को वापस भेज दिए जाते हैं इसलिए, आयोग किसी अनुशासनिक मामले से संबंधित केस रिकार्ड की प्रतियां प्रदान नहीं कर सकता।

प्रश्न 18- क्या अनुशासनिक प्राधिकारी किसी अनुशासनिक मामले को सं.लो.से.आ. को प्रेषित करते समय शास्ति की मात्रा संबंधी अनुशंसा कर सकते हैं ?

उत्तर- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.01.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं.39034/1/2009-स्था.(बी) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अनुशासनिक प्राधिकारी किसी अनुशासनिक मामले को सं.लो.से.आ. के परामर्श हेतु भेजते समय आयोग को अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की मात्रा संबंधी अनुशंसा न करें ।

प्रश्न 19- कौन-कौन सी लघु शास्तियां अनुशासनिक कार्यवाही में अधिरोपित

की जा सकती हैं ?

उत्तर- यह संगत नियमों यथा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम-11 में निर्धारित हैं ।

प्रश्न 20- कौन-कौन सी दीर्घ शास्तियां अनुशासनिक कार्यवाही में अधिरोपित की जा सकती हैं ?

उत्तर- ये संगत नियमों यथा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम-11 में निर्धारित है ।

प्रश्न 21- क्या किसी दीर्घ शास्ति वाले अनुशासनिक मामले में आरोपित अधिकारी को लघु शास्ति दी जा सकती है ?

उत्तर- किसी दीर्घ शास्ति वाली अनुशासनिक कार्यवाही में के.सि.से. (व., नि. एवं अ.) नियमावली, 1965 के नियम 11 और सदृश नियमों के तहत कोई भी सजा दी जा सकती है ।

प्रश्न 22- जांच कार्यवाही लघु शास्ति प्रावधानों के अंतर्गत शुरू करने पर क्या किसी आरोपित अधिकारी को दीर्घ शास्ति दी जा सकती है ?

उत्तर- जी नहीं ।

प्रश्न 23- क्या सजा के रूप में 'चेतावनी' दी जा सकती है ?

उत्तर- दोषी सरकारी कर्मचारी को जो सजाएं दी जा सकती हैं उनका वर्णन संबंधित नियमों में किया गया है जैसे के.सि.से.(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 का नियम 11 ।

प्रश्न 24- लघु शास्ति कार्यवाही में किन परिस्थितियों में जांच की जानी आवश्यक है ?

उत्तर- के.सि.से. (व.,नि. एवं अ.) नियमावली, 1965 के नियम 16 (1-ए) के अनुसार, इस नियम के अंतर्गत कोई अनुशासनिक प्राधिकारी केवल तभी जांच करवा सकता है (यह प्रक्रिया नियम 14 के उप नियम(3) से (23) में निर्धारित की गई है) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का यह मत हो कि शास्ति विशेष अधिरोपित करने से यथा वेतन वृद्धि रोक लिए जाने पर सरकारी कर्मचारी

को देय पेंशन की राशि प्रतिकूलतः प्रभावित होने की सम्भावना हो अथवा तीन वर्ष की अवधि से अधिक वेतनवृद्धि रोकी जानी हो अथवा किसी भी अवधि हेतु वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जानी हो ।

प्रश्न 25- जिन मामलों में सं.लो.से.आ. का परामर्श लिया जाना हो, क्या उनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग से द्वितीय चरण का परामर्श प्राप्त करना आवश्यक है ?

उत्तर- का. एवं. प्रशि. विभाग के दिनांक 26.09.2011 के ज्ञापन सं.372/19/2011-एवीडी-III (पार्ट 1) में प्रावधान है कि ऐसे मामले, जिनमें वर्तमान नियमों/ निदेशों के अनुसार सं.लो.से.आ. से परामर्श लिया जाना आवश्यक हो, अनुशासनिक मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग का द्वितीय चरण का परामर्श लेना आवश्यक नहीं है ।

प्रश्न 26- क्या एक पेंशनभोगी पर, जिसे न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया गया हो, पेंशन में कटौती की शास्ति अधिरोपित किए जाने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है ?

उत्तर- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 09.11.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/64/05-पी एंड पी डब्ल्यू(ए) में निर्धारित है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के लिए यह पूर्व अपेक्षित है कि पेंशन में कटौती की शास्ति अधिरोपित किए जाने से पूर्व न्यायालय की दोष सिद्धि के आधार पर पेंशनभोगी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए ।

प्रश्न 27- क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 और अन्य सदृश नियमों के तहत एक ऐसे सरकारी सेवक पर शास्ति अधिरोपित की जा सकती है, जिसे एक आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध किया गया हो और सजा दी गई हो और जिसने दोष सिद्धि/ सजा के विरूद्ध न्यायालय में अपील की हो ?

उत्तर- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.03.1994 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 371/23/92-ए वी डी ||| में यह निर्धारित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को दण्ड-न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया जाता है तो

यह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक अपील में सक्षम न्यायालय द्वारा इसे उलट या अपास्त नहीं कर दिया जाता । मात्र अपील दाखिल करने और/ अथवा सजा के निष्पादन पर रोक लगने से ही दोष सिद्धि का प्रभाव समाप्त नहीं होता है । अत: दोषसिद्धि/ सजा के खिलाफ अपीलीय न्यायलय में अपील करने मात्र से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर रोक नहीं लगाती जब तक कि अपीलीय न्यायालय में अपील स्वीकृत नहीं की जाती और दोषसिद्धि को अपास्त नहीं किया जाता ।

**प्रश्न 28-	आयोग को अपना परामर्श देने में कितना समय लगता है ?**

उत्तर-	आयोग मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों और मूल/प्रमाणित अभिलेखों जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ (i) आरोप ज्ञापन, (ii) अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, (iii) जांच अधिकारी की रिपोर्ट, (iv) आरोपित अधिकारी का अभ्यावेदन, (v) अनुशासनिक प्राधिकारी की टिप्पणियां, इत्यादि शामिल होते हैं, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.5.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 39035/01/2011-स्था.(बी) के अनुपालन में मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, पर गहन, न्यायसंगत एवं स्वतंत्र विचारण के उपरांत आयोग अपना परामर्श देता है । अनुशासनिक कार्यवाही में अपना परामर्श देने में आयोग औसतन औसतन 4 से 6 माह का समय तथा न्यायालय आदेश संबंधित प्राथमिकता वाले मामले में लगभग 3 माह का समय लेता है।

**प्रश्न 29-	आरोपित अधिकारी को परामर्श की प्रति कब और किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ?**

उत्तर-	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.11.2014 के का.ज्ञा.सं. 11012/8/2011-स्था.(ए) तथा दिनांक 31.10.2014 की गजट अधिसूचना जी.एस.आर.क्र.769(ई) अनुबंधित करते हैं कि सं.लो.से.आ. से परामर्श प्राप्त होने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी परामर्श की प्रति सरकारी कर्मचारी को इस अपेक्षा के साथ अग्रेषित करेगा कि यदि वह चाहे तो 15 दिनों के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/ निवेदन अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजे ।

**प्रश्न 30-	क्या कोई अधिकारी अपने विरूद्ध चल रही अनुशासनिक कार्यवाही में राहत हेतु आयोग के पास सीधे पहुंच सकता है ?**

उत्तर- परामर्श की अपेक्षा के अनुसार आयोग अपना परामर्श राष्ट्रपति को देता है जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320(3)(ग) सपठित सं.लो.से.आ. (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के विनियम 5(1) में वर्णित है । इसलिए, कोई भी अधिकारी अपने विरुद्ध चल रही अनुशासनिक कार्यवाही में किसी भी रहत के लिए आयोग के पास सीधे नहीं पहुंच सकता ।

प्रश्न 31- किसी अनुशासनिक कार्यवाही में प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग/ राज्य सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की प्रति प्राप्त होने के बाद क्या कोई अधिकारी इस परामर्श पर सीधे आयोग को अपना अभ्यावेदन भेज सकता है ?

उत्तर- इस संबंध में आयोग को कोई अभ्यावेदन नहीं भेजा जा सकता । अधिकारी केवल संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को ही अपना अभ्यावेदन भेज सकता है।

प्रश्न 32- क्या एक आरोपित अधिकारी अपने मामले की समझाने के लिए आयोग के किसी पदाधिकारी से मिल सकता है ?

उत्तर- चूंकि अनुशासनिक कार्यवाहियां अर्द्ध-न्यायिक स्वरूप की होती हैं इसलिए यह आवश्यक है कि अधिकारी लागू अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत जैसी भी व्यवस्था हो अपना अभ्यावेदन अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान ही जांच अधिकारी/ बचाव सहायक को दे सकता है । इस प्रकार, आरोपित अधिकारी और आयोग के पदाधिकारियों के मध्य किसी भी प्रकार का संवाद पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

प्रश्न 33- आयोग के परामर्श से असहमत होने की स्थिति में मंत्रालयों/ विभागों द्वारा कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ?

उत्तर- आयोग के परामर्श से असहमत होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, कार्मिक व पेंशन विभाग के का.ज्ञा. सं 39023/02/2006-स्था.(बी) दिनांक 05.12.2006 में दी गई है और कार्मिक व पेंशन विभाग के का.ज्ञा. सं 39023/02/2006-स्था.(बी) दिनांक 02.03.2016 में दोहराई गई है।

प्रश्न 34- आयोग के परामर्श से असहमत होने की स्थिति में राज्य सरकारें किस प्रक्रिया का पालन करेंगी ?

उत्तर- अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 11 के अनुसार, इस नियम के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले को लेकर जब कभी राज्य सरकार एवं आयोग के अभिमत में अंतर होगा, तब इस प्रकार का मामला निर्णय हेतु केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा ।

प्रश्न 35- क्या होता है जब मंत्रालय/ विभाग/ राज्य सरकार आयोग के परामर्श से असहमत होते हैं ?

उत्तर- जिन मामलों में मंत्रालय/ विभाग/ राज्य सरकार आयोग के परामर्श से असहमत होते हैं, ऐसे मामलों को व्याख्यात्मक ज्ञापन (Explanatory Memorandum) के साथ आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में भी दर्शाया जाता है जो संसद के समक्ष रखा जाता है ।

प्रश्न 36- क्या अंतिम आदेश की एक प्रतिलिपि आयोग को भेजी जाती है ?

उत्तर- जी हाँ ।

प्रश्न 37- सजा के अधिरोपण से पूर्व आरोपित अधिकारी की मृत्यु होने की स्थिति में क्या होगा ?

उत्तर- आरोपित अधिकारी की मृत्यु की स्थिति में अनुशासनिक मामलों को बंद करने संबंधी प्रक्रिया को कार्मिक व पेंशन विभाग के का.ज्ञा. सं 11012/7/99-स्था.(बी) दिनांक 20.10.1999 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

प्रश्न 38- अनुशासनिक कार्यवाहियां कब समाप्त समझी जाती हैं ?

उत्तर- अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा शास्ति के अधिरोपण/ दोषमुक्ति/ आरोपों को हटाने संबंधी अंतिम आदेश जारी करने के साथ अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त हो जाती हैं।

प्रश्न 39- किसी नई सामग्री अथवा नए साक्ष्य के मिल जाने पर जो कि जांच के समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था अथवा उपलब्ध नहीं था, ऐसी स्थिति में क्या कोई सरकारी कर्मचारी आयोग के परामर्श के उपरांत आदेश पारित होते समय आयोग से सम्पर्क कर सकता है ?

उत्तर- जी नहीं ।

प्रश्न 40- माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आदेश पारित किए जाने पर क्या कोई अपील की जा सकती है ?

उत्तर- के.सि.से. (व.,नि.एवं अ.) नियमावली, 1965 के नियम 22 के अनुसार माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है ।

प्रश्न 41- समीक्षा, आवेदनपत्र अथवा याचिका मामलों में माननीय राष्ट्रपति महोदय को आयोग से कब परामर्श करना होता है?

उत्तर- गृह मंत्रालय के दिनांक 4.8.1964 के कार्यालय ज्ञापन सं.18/9/63-स्था.(बी) के अनुसार आयोग से केवल उन मामलों में परामर्श की अपेक्षा की जाती है जब माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा किसी याचिका अथवा आवेदनपत्र अथवा अन्यथा विचारण के उपरांत किसी आदेश को अधिक्रमित करते हुए या उसमें संशोधन करते हुए उनके अथवा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किसी भी शास्ति के आदेश अथवा समीक्षा की शक्तियों को प्रयोग करते हुए अधिरोपित की गई किसी भी शास्ति और किसी ऐसे आदेश में संशोधन जिसमें कोई भी शास्ति अधिरोपित न की गई हो, आदेश पारित करने का प्रस्ताव किया जाए ।

प्रश्न-42 आयोग द्वारा सुझाई गई शास्ति को लागू करने के संबंध में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए नोडल मंत्रालय कौन-सा है ?

उत्तर- शास्ति को लागू करने के संबंध में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु नोडल मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है ।

प्रश्न-43 के.सि.से.(व., नि. एवं अ.) नियमावली, 1965 तथा अ.भा.से.(अ. एवं अ.) नियमावली, 1969 के मामले में स्पष्टीकरण देने हेतु कौन प्राधिकृत है?

उत्तर- के.सि.से. (व.,नि. एवं अ.) नियमावली, 1965 तथा अ.भा.से.(अ.एवं अ.) नियमावली, 1969 के निर्वचन तथा प्रशासन के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (का. एवं प्र.वि.) नोडल विभाग है ।

प्रश्न 44- क्या सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आयोग में किसी अनुशासनिक मामले की स्थिति से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है?

उत्तर- चूंकि अनुशासनिक कार्यवाही अर्ध-न्यायिक स्वरूप की होती है, अतः आयोग में किसी मामले के प्राप्त होने की तारीख से आयोग द्वारा अंतिम सलाह दिए जाने तक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस प्रकार की सूचना साझा नहीं की जा सकती ।

प्रश्न 45- क्या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आरोपित अधिकारी या कोई तृतीय पक्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए परामर्श पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकता है ?

उत्तर- वर्तमान नियमों के अनुसार, परामर्श-पत्र की प्रति उस विभाग/ अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित अधिकारी को दी जानी है, जिसे परामर्श-पत्र अग्रेषित किया जाता है अतः आर टी आई के तहत परामर्श पत्र की प्रति प्रदान करने के लिए संबंधित विभाग/ अनुशासनिक प्राधिकारी सूचना का अधिकार के अन्तर्गत संबंधित प्राधिकारी होंगे । तथापि, जिन मामलों में, संबंधित मंत्रालय/विभाग/अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश जारी किया जा चुका है और संगत फाइल अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के पास उपलब्ध है, परामर्श-पत्र की प्रति आवेदक (आरोपित अधिकारी को व्यक्तिगत हैसियत में अथवा किसी तीसरे पक्ष) को दी जा सकती है । जिन मामलों में संबंधित मंत्रालय/विभाग/अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश जारी नहीं किया गया है; उन मामलों में आयोग का परामर्श प्रकट नहीं किया जा सकता ।

प्रश्न 46- आयोग द्वारा परामर्श के लिए प्राप्त अनुशासनिक मामलों की कुल संख्या तथा कितने मामलों में संघ लोक सेवा आयोग ने अपना परामर्श दिया है इससे संबंधित जानकारी कहां से ली जा सकती है ?

उत्तर- यह सूचना संसद के पटल पर रखी गई वार्षिक रिपोर्ट में निहित होती है । एक बार वार्षिक रिपोर्ट संसद के पटल पर रखे जाने के पश्चात् उसे संघ लोक सेवा आयोग की अधिकृत वेबसाइट (http://upsc.gov.in) पर भी "वार्षिक प्रतिवेदन" शीर्षक के अंतर्गत अपलोड किया जाता है ।

प्रश्न 47- जिन मामलों में आयोग द्वारा शास्तियां सुझाई गई हैं उनकी संख्या के संबंध में जानकारी कहां मिल सकती है ?

उत्तर- आयोग द्वारा प्राप्त मामलों की संख्या तथा आयोग द्वारा सुझाई गई शास्तियों के संबंध में जानकारी आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित की जाती है । आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सं.लो.से.आ. की आधिकारिक वेबसाइट (www.upsc.gov.in) पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है ।

प्रश्न 48- क्या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आयोग किसी अनुशासनिक मामले में अनुशासनिक नियमों अर्थात केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 तथा केन्द्रीय सरकार की अन्य सेवाओं से संबंधित सदृश नियमों का स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या कर सकता है?

उत्तर – इस प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु आवेदकों को संबंधित नोडल मंत्रालयों से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणतः केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवली, 1965 के मामले में कार्मिक, पेन्शन एवं लोक शिकायत मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) नोडल मंत्रालय है।

* * *